## कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-एक

### निविदा आमंत्रण सूचना

संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, जबलपुर संभाग-एक की ओर से अधोलिखित प्रयोजन एवं शर्तों के अध्यधीन, पंजीकृत फर्मों/ संस्थाओं से ऐसे वाहन, जो मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीबद्ध हों, मासिक किराये पर लिये जाने हेतु मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

| क्र | वाहन किराये पर लिये जाने का प्रयोजन | वाहन की संख्या | वाहन का प्रकार, मॉडल एवं निर्माण का वर्ष | परिवहन क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, जबलपुर संभाग-एक के उपयोग हेतु | 01 | वाहन, वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है ( वाहन का अधिकतम लागत मूल्य / एक्स शोरूम प्राईज रू. 5.50 लाख तक होना चाहिये ) | तीन + एक (कुल चार व्यक्ति ) |
| 2 | संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, जबलपुर संभाग - दो के उपयोग हेतु | 01 | वाहन, वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है ( वाहन का अधिकतम लागत मूल्य / एक्स शोरूम प्राईज रू. 5.50 लाख तक होना चाहिये ) | तीन + एक (कुल चार व्यक्ति ) |
| 3 | संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, ए.ई.बी.,जबलपुर के उपयोग हेतु | 01 | वाहन का वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है ( वाहन का अधिकतम लागत मूल्य / एक्स शोरूम प्राईज रू. 5.50 लाख तक होना चाहिये ) | तीन + एक (कुल चार व्यक्ति ) |
| 4 | उपायुक्त, राज्य कर, जबलपुर संभाग - एक के उपयोग हेतु | 01 | वाहन, वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है ( वाहन का अधिकतम लागत मूल्य / एक्स शोरूम प्राईज रू. 5.50 लाख तक होना चाहिये ) | तीन + एक (कुल चार व्यक्ति ) |
| 5 | उपायुक्त, राज्य कर, जबलपुर संभाग – दो के उपयोग हेतु | 01 | वाहन, वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है ( वाहन का अधिकतम लागत मूल्य / एक्स शोरूम प्राईज रू. 5.50 लाख तक होना चाहिये ) | तीन + एक (कुल चार व्यक्ति ) |
| 6 | कार्यालय वृत्ति कर वृत्त, जबलपुर के लिये | 01 | वाहन का वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है। | तीन + एक (कुल चार व्यक्ति ) |
| 7 | संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, जबलपुर संभाग-एक के उपयोग हेतु (शासकीय एवं उच्च न्यायालय के कार्यों के सम्पादन हेतु ) | 01 | वाहन, वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है ( वाहन का अधिकतम लागत मूल्य / एक्स शोरूम प्राईज रू. 5.50 लाख तक होना चाहिये ) ( इस आशय हेतु वाहनों के स्वीकृत होने की दशा में ) | तीन + एक (कुल चार व्यक्ति ) |
| 8 | उपायुक्त, राज्य कर, जबलपुर संभाग-एक के वृत्त प्रभारी एक एवं दो के उपयोग हेतु | 02 | वाहन, वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है ( वाहन का अधिकतम लागत मूल्य / एक्स शोरूम प्राईज रू. 5.50 लाख तक होना चाहिये ) ( इस आशय हेतु वाहनों के स्वीकृत होने की दशा में ) | तीन + एक ( कुल चार व्यक्ति ) |
| 9 | कार्यालय, एन्टी इवेजन ब्यूरो, जबलपुर के उपयोग हेतु | 02 | वाहन का वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है। | छः + एक ( कुल सात व्यक्ति ) |
| 10 | संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, टैक्स ऑडिट विंग, जबलपुर के दल हेतु | 02 | वाहन का वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है। | छः + एक ( कुल सात व्यक्ति ) |

De

निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक व समय 14.08.2017 को शाम 04:00 बजे तक |
निविदा खोले जाने का दिनांक व समय 16.08.2017 को दोपहर 04:00 बजे |

**निविदा प्रस्तुत किये जाने की शर्तें :-**

1. उपर्युक्त प्रयोजनार्थ दो प्रकार के वाहनों (तीन + एक (कुल चार व्यक्ति ) एवं छः + एक ( कुल सात व्यक्ति ) के लिये पृथक-पृथक निविदायें प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है |
2. ऐसे वाहन, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयत होने चाहिये | ( पंजीयन प्रलेखों की छायाप्रति अनिवार्यतः लगायी जायें ) |
3. निविदा में इंडिगो, टवेरा, इनोवा, जाइलो, स्कार्पियो, इनोवा आदि नॉन ए.सी. वाहनों के लिये किराये की दरों का उल्लेख श्रेणीवार पृथक-पृथक किया जाये |
4. कंडिका कमांक – 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 एवं 8 में उल्लिखित वाहनों हेतु मासिक किराये के तहत वाहन का उपयोग प्रति माह 1000 किलोमीटर हेतु राशि रू 23900/- अधिक दर पर किराये से देय नहीं होगा | किसी माह में 1000 किलोमीटर से अधिक उपयोग किये जाने की दशा में 8/- रूपये प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से देय होगी | मुख्यालय में अतिरिक्त वाहन चालन की दशा में प्रति किलोमीटर की दर एवं मुख्यालय से बाहर वाहन चालन की दशा में प्रति किलोमीटर की दर का पृथक-पृथक उल्लेख किया जाये |
5. कंडिका क्रमांक – 9 एवं 10 में उल्लिखित वाहनों के लिये 2500 किलोमीटर अनुसार प्रतिमाह हेतु दर का उल्लेख किया जाये | नियंत्रण अधिकारी के प्रमाणन के आधार पर 12 घन्टे से ज्यादा वाहन का लगातार उपयोग होने पर रूपये 100/- प्रतिदिन चालक भत्ता एवं प्रवास में रात्रि विश्राम की स्थिति में रूपये 50/- अतिरिक्त भत्ता देय होगा |
6. वाहन हमेशा डीजल तथा ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन की टूट-फूट तथा रख-रखाव के समस्त खर्चे व देय कर वाहन मालिक को वहन करना होगा | विशेष परिस्थिति में वाहन चालक की अनुपस्थिति में दूसरा वाहन-चालक उपलब्ध कराना होगा | वाहन चालक सहित वाहन उपलब्ध नही कराये जाने की दशा में रू. 1000/- प्रतिदिन की कटौती की जायेगी | वाहन चालक निर्धारित लायसेंसधारी होना चाहिये तथा उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामले पुलिस अथवा न्यायालय में पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये :-
   a. किराये पर लिये जाने वाला वाहन नियमित होगा, वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने पर समस्त प्रकार का दायित्व वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी / संस्था का होगा |
   b. वाहन चोरी होने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर समस्त वैधानिक कार्यवाही का दायित्व वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी / संस्था का होगा |
   c. वाहन, परिवहन अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार बीमित होना अनिवार्य है |
   d. सम्बंधित फर्म / संस्था / एजेन्सी का GSTIN नं. होना अनिवार्य है |
7. समस्त शासकीय / अन्य करों के नियमानुसार भुगतान का दायित्व, वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी का ही होगा | भुगतान योग्य आयकर कटौती, आयकर अधिनियम के अनुसार तथा माल एवं सेवा कर की कटौती नियमानुसार इस विभाग द्वारा की जायेगी |
8. नियमानुसार लॉगबुक का संधारण किया जायेगा, जिसमें सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से की जायेगी एवं उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे |
9. ऐसे वाहन, वित्त वर्ष 2017-2018 के लिये किराये पर लिये जायेंगे तथा यह अवधि आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकेगी | स्वीकृत निविदाओं की समान शर्तों व दरों के अनिवार्य अध्यधीन रहते हुए मासिक किराए पर लिये गये वाहनों को आगामी अवधि हेतु भी निरंतर किया जा सकता है |

10. निविदाकर्ता द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार देय स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि समस्त शर्तें उन्हें मान्य हैं।

11. रुपये 10,000/- की अर्नेस्ट मनी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में जो इस विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व का न हो तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर के पक्ष में हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ नियमानुसार दो सीलबंद लिफाफे के संलग्न करना होगा। प्रथम सीलबंद लिफाफा "अ" अर्नेस्ट मनी का होगा जिस पर अर्नेस्ट मनी मय सहपत्रों के लिखा हो। दूसरा सीलबंद लिफाफा "ब" निविदा का होगा। सर्वप्रथम "अ" लिफाफा को खोलकर शर्तें पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिन संस्थाओं द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकेंगी उनका "ब" लिफाफा नहीं खोला जायेगा। तैयार की गई सूची के आधार पर निविदाकारों को न्यूनतम दरों के आधार प्रथम/ द्वितीय सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय सफल निविदाकर्ताओं को छोड़कर शेष की अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।

प्राप्त निविदाओं के आधार पर तीन सफल निविदाकारों में से न्यूनतम मासिक किराया एवं अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाली निविदा मान्य की जायेगी, किन्तु निविदा के मान्य / अमान्य / स्थगित करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, जबलपुर संभाग-एक के पास सुरक्षित रहेगा। इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार विधि मान्य नहीं होगा।

संयुक्त आयुक्त,
राज्य कर,
जबलपुर संभाग-एक